न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –48 / 2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गिरधारी पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी लुणियास तहसील मेडता जिला नागौर		तहसीलदार मेडता, तहसील मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 26-4-18

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम रामलियावास तहसील मेड़ता का म्यूटेशन संख्या 308 जो तहसीलदार मेडता द्वारा दिनांक 14.10.2016 को अस्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 10.04.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश जैर अपील तहसीलदार मेडता द्वारा एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट को अथवा अन्य पक्षकारों को नोटिस दिये पारित किया है। इस कारण अपीलांट को नामान्तरकरण जैर अपील की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 18.11.2016 को जब अपीलांट हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने नामान्तकरण अस्वीकृत करने की जानकारी दी, तब अपीलांट ने नामान्तकरण जैर अपील की नकल ली किन्तु तत्पश्चात् अपीलांट कमाने हेतु बाहर चला गया तथा अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से कानूनी प्रावधानों से अपरिचित था, अभी हाल ही में मेडता जाकर अपने अधिवक्ता को उक्त नामान्तकरण बताया तब उन्होनें अपीलांट को निर्देश दिये कि नागौर जाकर तुरंत अपील करो, तब अपीलांट नागौर आया व अपील तैयार करवाकर पेश की है। न्यायहित में अपील अंदर मियाद शुमार की जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह ने भी अपनी बहस में वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुवे अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के मयाद प्रार्थना पत्र पर

कलक्टर, नागौर

सहानूभूतिपूर्व विचार करते हुए न्यायहित में अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया उपखण्ड अधिकारी मेडता के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 181/84 मुकनाराम बनाम करमाराम वगैराह चल था। जिसका निर्णय दिनांक 24.01.1985 को होकर दावा स्वीकृत हुआ तथा पक्षकारान में न्यायालय द्वारा बंटवाडा कर दिया गया। जिसकी पालना में हल्का पटवारी ने नामान्तकरण संख्या 308 भरकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया। जिस पर आर.आई. हल्का द्वारा जांच की गई उस जांच में यह अंकन किया कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा पत्र दिनांक 29.07.2016 के जरिए नामान्तकरण को निरस्त करने हेतु लिखा है उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मेडता ने नामान्तकरण संख्या 308 अस्वीकृत कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध एंव विधि विरूद्ध ढंग से पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.01.85 के जरिए बंटवाडे का वाद स्वीकृत करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की थी जिस निर्णय व डिक्री की पालना में ही नामान्तकरण संख्या 308 हल्का पटवारी द्वारा भरकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मेडता को केवल न्यायालय के आदेश की पालना ही करनी थी। उनको नामान्तकरण निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था इसके बावजूद भी तहसीलदार मेडता ने मनमाने ढंग से एंव अवैध व विधि विरूद्ध ढंग से नामान्तकरण जैर अपील निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। जो आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। नामान्तकरण जैर अपील में आर.आई. हल्का ने जो जांच की है उसमें उपखण्ड अधिकारी के पत्र दिनांक 29.07.2016 का उल्लेख करते हुए नामान्तकरण को निरस्त योग्य माना है, जबकि किसी भी न्यायालय द्वारा एक बार किसी प्रकरण में निर्णय कर दिया जाता है तो उसकी अपीलीय कोर्ट ही उसको निरस्त कर सकती है स्वंय उपखण्ड अधिकारी को उस निर्णय की पालना को रोकने का भी कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार मेडता ने अवैध व विधि विरूद्ध ढंग से जो नामान्तकरण अपील निरस्त किया है वह आदेश काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी मेडता के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट के पिता सुखाराम पक्षकार थे जिनका देहांत हो चुका है। इस कारण उक्त अपील उनके जांयदा पुत्र की हैसियत से अपीलांट की ओर से पेश की जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2016 निरस्त फरमाने तथा उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा प्रकरण संख्या 181/84 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.1985 के अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील में उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के राजस्व वाद संख्या 181/84 निर्णय दिनांक 24.01.1985, वर्तमान एस.डी.एम. के आदेश–एल.आर. 660 दिनांक 17.8.16, तहसीलदार मेड़ता के आदेश–भू.अ./डिकी/2016/893 दिनांक 17.8.16 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करने, तथा मौके पर डिकी अनुसार कदीम से काबिज है, खसरान की सीवें भी अपनी जगह कमीम से पायी गई है, का उल्लेख पटवारी बीटन द्वारा दिनांक 21.8.16 को किया गया है, उक्त म्यूटेशन पर ही आई.एल.आर. बड़गांव द्वारा दिनांक 8.9.2016 को रिपोर्ट अंकित की कि उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश कमांक–2016/1486 दिनांक 6.9.16 के तहत पूर्व आदेश उपखण्ड अधिकारी मेड़ता का पत्र कमांक–राजस्व/2016/1224 दिनांक 29.7.2016 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया। अतः नामान्तरकरण निरस्त योग्य होने की रिपोर्ट की, जिस पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त नामान्तरकरण जैर अपील को दिनांक 14.10.2016 को निरस्त कर दिया।

हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक–राजस्व/2016/1224 दिनांक 29.7.2016 के द्वारा राजस्व वाद संख्या 181/84 मुकनाराम उर्फ मनकाराम बनाम करमाराम के निर्णय दिनांक 24.1.1985 की पालना के सन्दर्भ में तहसीलदार मेड़ता को निर्णय की नियमानुसार पालना करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा डिकी व वर्तमान रेकर्ड में 2 बीघा (0.33हैक्टयर) का अन्तर होना दूरभाष उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को अवगत कराये जाने पर उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक–राजस्व/2016/1486 दिनांक 06.09.16 से उनके द्वारा जारी उक्त पूर्व पत्र कमांक–राजस्व/2016/ 1224 दिनांक 29.7.2016 को निरस्त कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पहले अपने पत्रांक–1224 दिनांक 29.7.16 के द्वारा राजस्व वाद संख्या 181/84 मुकनाराम उर्फ मनकाराम बनाम करमाराम के निर्णय दिनांक 24.1.1985 की पालना करने के निर्देश दिये एवं तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने अपने पत्रांक–1486 दिनांक 06.09.16 से उक्त निर्देशों को निरस्त कर दिया। किसी भी न्यायालय के निर्णय एवं डिकी की पालना में की जाने वाली कार्यवाही को, उक्त निर्णय एवं डिकी को विधिक प्रकिया अनुसार निरस्त कराये बिना निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में राजस्व वाद संख्या 181/84 मुकनाराम उर्फ मनकाराम बनाम करमाराम के निर्णय दिनांक 24.1.1985 को विधि प्रकिया अनुसार निरस्त कराये बिना म्यूटेशन जैर अपील अस्वीकृत करने का आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं आदेश म्यूटेशन जैर अपील को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मेड़ता को प्रतिप्रेषित कर, उपर्युक्त निर्णय में दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुऐ विधि अनुसार कार्यवाही करते हुऐ नये सीरे समुचित आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल म्यूटेशन एवं आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर